सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 147 / 2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

दुर्गालाल पुत्र सूजा माली निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र भूरा माली
2. चुतुर्भज पुत्र छोगा माली
3. सत्यनारायण पुत्र छोगा माली
4. रामधन पुत्र छोंगा माली
5. छाउ पत्नि छोगा माली
6. सरजू पुत्री छोगा माली
7. लादी पुत्री छोगा माली
8. गंगा पुत्री छोगा माली
9. मनभर पुत्री छोगा माली
10. मानी पुत्री छोगा माली
11. बरजी पुत्री छोगा माली
    समस्त जाति माली निवासी गण कादेडा तह. केकडी जिला अजमेर
12. तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 22.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खवास में पेश हुई। प्रार्थीया उपस्थित। प्राथी / अप्रार्थीगण उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम कादेडा की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स.186 के खसरा नम्बर 1894 रकबा 0.26 है. में प्राथी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड हे। प्राथी की उक्त आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 1888, 1888 / 3543, 1889 में से होकर आता जाता है उक्त रास्ते के अलावा प्राथी के आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते का उपयोग प्राथी कृषि यंत्रो को लाने ले जाने फसल काश्त करने आदि के लिये करता आ रहा है। पडोसी खातेदारों द्वारा उक्त रास्त पर अवेध कब्जा कर प्राथी को आने जाने नही दिया जा रहा है। जिसके कारण प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें ।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी स. की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त जैन एंव अप्रार्थी स. 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद पाराशर एवं श्री राजेश शर्मा ने पावर पेश किया। अप्रार्थीगण स. 5 से 11 बावजूद सूचना के हाजिर न्यायालय नही हुये। लिहाजा उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प खवास में पेश हुइ जहां प्रार्थी स्वयं उपस्थित । हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। तहसीलदार केकडी से मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम कादेडा तहसील केकडी की आराजी खसरा नम्बर 1894 में आने जाने हेतु प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1888,1888/3543, व 1889 में से रास्ता चाहा है। खसरा नम्बर 1888 के लगायत खसरानम्बर 1884 जो सिवायचक भूमि दर्ज है। उक्त सिवायचक भूमि पर रास्ता बना हुआ है। उक्त सिवायचक भूमि एव वादी की आराजीयात के मध्य ख.न. 1888 व 1888/3543 आता है जिसमें से प्रार्थी ने 20 फीट चौडा रास्ता चाहा है। खसरानम्बर 1888 रकबा 0.23 मेसे 0.0192 है. एवं खसरा नम्बर 1888/3543 रकबा 0.08 मेंसे 0.0048 है. भूमि प्रस्तावित रास्ते के रूप में काम में आयेगी। इस प्रकार कुल रकबा 0.0240 है. भूमि रास्ते के लिये बनती है प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खेत में जाने हेतु नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए वाके ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर के हाल खसरा नम्बर 1894 में आने जाने हेतु रास्ता चाहने बाबत स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थनापत्र वर्णित खसरा नम्बर 1894 में आने जाने हेतु ग्राम कादेडा के खसरा नम्बर 1888 रकबा 0.23है. मेसे .0192 है. तथा खसरा नम्बर 1888/3543 रकबा 0.08 है मेंसे 0.0048 है. कुल क्षेत्रफल 0.0240 है. का रास्ते हेतु वर्तमान पंजीयन दर 205200 से कुल राशि 4925 रूपये के दुगनी राशि 9850/—रूपये प्रार्थी द्वारा जमा राजकोष या भुगतान किये जाने पर वर्तमान राजस्व मानचित्र में तरमीम की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय हाजा को अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी